सार्वजनिक सूचना

जैसा कि सर्व विदित है कि पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस (COVID-19) का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में प्रति दिन प्रदेश के विभिन्न जनपदों से बड़ी संख्या में पक्षकार आते हैं और अपने–अपने मामलों में खुले सुनवाई कक्ष में अपना पक्ष रखते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आने वाले पक्षकारों के मन में सार्वजनिक साधनों से यात्रा करने, सुनवाई कक्षों में सामूहिक रूप से एकत्रित होने पर उक्त वायरस से ग्रसित होने की आशंका उत्पन्न हो रही है। ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति में जन सामान्य की स्वास्थ्य–सुरक्षा को सर्वोच्च वरीयता देते हुए उ0प्र0 सूचना आयोग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आयोग में प्रतिदिन सूचीबद्ध होने वाले मामलों में 31 मार्च, 2020 तक उभय पक्ष सुनवाई के लिये आयोग में नहीं आयें। पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण कोई भी प्रतिकूल आदेश उनके विरुद्ध पारित नहीं किया जायेगा। पक्षकारों के द्वारा डाक/ई–मेल के माध्यम से भेजे जाने वाली सूचनायें/प्रपत्र संबंधित पत्रावलियों में रखते हुए, अन्य सभी आवश्यक कृत्य निष्पादित किये जायेंगे।